प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनाँकः 25.11.2014 को सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार के पत्र दिनाँकः 13.11.2014 के सम्बन्ध में आयोजित

बैठक का कार्यवृत्त

बैठक की उपस्थिति संलग्नकानुसार है।

प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र दिनॉकः 13.11.2014 के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं के लाभार्थियों की डिजिटाइज्ड सूचनाओं में आधार कार्ड संख्या/आधार नामांकन संख्या को प्राथमिकता के आधार पर मार्च, 2015 तक लिंक किया जाना है:–

1. मनरेगा।
2. पेन्शन योजनायें (वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा को सम्मिलित करते हुए)।
3. दशमोत्तर छात्रवृत्तियॉ– एस0सी0/एस0टी0/अल्पसंख्यक।
4. पी0डी0एस0 राशन कार्ड धारक।
5. एल0पी0जी0 उपभोक्ता जो सब्सिडी कनेक्शन वाले हैं।

सर्व प्रथम यह स्पष्ट किया गया कि आधार कार्ड का नामांकन अभी भी राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न कारणोंवश नहीं किया गया था, परन्तु अब इस पर नीतिगत निर्णय हो चुका है तथा शीघ्र ही इस कार्य हेतु नियुक्त रजिस्ट्रार (मण्डलायुक्त) के माध्यम से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार एजेंसियों का चयन करते हुए राज्य सरकार के माध्यम से भी नामांकन का कार्य आरम्भ किया जायेगा। यह कार्य जनवरी के पश्चात् ही प्रारम्भ हो सकेगा, इसके लिए आवश्यक है कि यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा आबद्ध किये गये नान स्टेट रजिस्ट्रार व उनसे सम्बद्ध एजेन्सियों के माध्यम से जिला प्रशासन के नेतृत्व में आधार कार्ड लिंकिंग का कार्य बिना किसी विलम्ब के आरम्भ कर दिया जाय। जैसे–जैसे राज्य सरकार के माध्यम से एजेंसियॉ तय होंगी तो तद्नुसार उनका भी उपयोग इस कार्य के लिए किया जायेगा।

बैठक में आये हुए लगभग सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त योजनाओं की सूचनाओं का अधिकांशतः डिजिटाइजेशन कर लिया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह डिजिटाइजेशन एन0आई0सी0 के माध्यम से कराया गया है तथा इन सभी में आधार कार्ड संख्या को दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।

उपरोक्त योजनाओं के सम्बन्ध में विभागवार विचार–विमर्शोपरान्त निम्नलिखित मत स्थिर हुआ :–

ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा योजना में सभी सम्बन्धित लाभार्थियों को सामान्य सत्यापन प्रकिया में आधार नम्बर से लिंक किया जाये। जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड बन चुके हैं, उनकी आधार कार्ड संख्या विभागीय जनपदस्तरीय अधिकारियों के निर्देशन में ग्राम स्तरीय कर्मचारियों द्वारा सत्यापन सूची में अंकित की जायेगी तथा जिन लाभार्थियों

के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड बनवाये जाने हे आधार नामांकन केन्द्र पर लाया जायेगा तथा साथ-साथ सत्यापन सूची में नामांकन संख भी अंकित की जायेगी। उन्हें यह भी समझाना होगा कि आधार नामांकन संख्या के अभ में उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में मिलने वाले लाभ/सहायता आदि सुविधाओं में मा 2015 के पश्चात् कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार जिन कार्ड धारकों के पा आधार कार्ड उपलब्ध हैं, उनका ही नम्बर प्राप्त किया जायेगा तथा शेष का नामांकन कर समय ही नामांकन/पंजीकरण संख्या प्राप्त किया जायेगा तथा उसे डेटाबेस में अंकित किर जायेगा। ग्राम स्तरीय कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्त कर डेटाबेस में अंकित कर का सारा दायित्व विभागीय जिला स्तरीय कर्मचारियों का होगा।

समाज कल्याण/विकलांगजन विकास विभाग

समाज कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि संचालित विभिन्न पेंशन योजनाअ (वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा) का सत्यापन जनपदस्तरीय विभागीय अधिकारियों द्वारा किय जाता है। वर्ष 2015-16 की होने वाली सामान्य सत्यापन प्रकिया को माह जनवरी, 201 से मार्च 2015 तक पूरा कर लिया जायेगा। इस सूची में जिन पेंशनधारकों का आधार कार्ड बन चुका है, की आधार संख्या भी साथ-साथ एकत्र की जायेगी। जो पेंशनधारक अभी आधार नामांकन नहीं करा सके हैं, उनको मार्च, 2015 तक ग्रामस्तरीय कर्मचारी के सहयोग से आधार कार्ड एजेंसियों द्वारा नामांकन कर आधार कार्ड बनवाये जायेंगे। पेंशनधारक पेंशन की सुविधा से आधार कार्ड के अभाव में मार्च, 2015 के पश्चात् कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। ग्राम्य विकास अधिकारियों के पास पेंशनधारकों की पूरी सूची उपलब्ध है जिसमें आधार कार्ड वाले पेंशनधारकों की आधार संख्या सम्मिलित करनी होगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ावर्ग/अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियाँ

छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में अगले शैक्षणिक वर्ष की प्रवेश प्रकिया में आधार कार्ड नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया जाना उचित होगा। जिन छात्र-छात्राओं के पास आधार कार्ड नहीं हैं, उनका नामांकन कराना अनिवार्य होगा एवं ऐसी दशा में आधार कार्ड के स्थान पर नामांकन/पंजीकरण संख्या प्रार्थना पत्र में देना अनिवार्य होगा। आधार नामांकन कैम्प प्राथमिकता के आधार पर कालेजों में लगाये जायें, जिससे सभी छात्र-छात्राओं का आधार नामांकन पूरा किया जा सके तथा पूर्व में छात्रवृत्ति पाये छात्र-छात्राओं की आधार नामांकन की सूचना सम्मिलित की जा सके। इसी प्रकार मदरसों में भी आधार नामांकन कैम्प लगाकर प्राथमिकता पर छात्र-छात्राओं का आधार नामांकन कराया जायेगा। तद्नुसार ही समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अपनी-अपनी नियमावली में वर्ष 2015-16 के लिए अपेक्षित संशोधन कर देंगे एवं साफ्टवेयर में भी तद्नुसार संशोधन करेंगे।

खाद्य एवं रसद विभाग

विभाग द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत समस्त राशनकार्ड धारकों

के मुखिया की आधार संख्या मार्च, 2015 तक राशनकार्डों में अंकित करना सुनिश्चित किया जाये। जिन राशनकार्ड धारकों का आधार नामांकन नहीं हुआ है, ग्राम स्तरीय अधिकारियों द्वारा उनके नामांकन मार्च, 2015 तक किया जाना सुनिश्चित किया जाये। लाभार्थियों को यह संदेश देना आवश्यक है कि मार्च, 2015 के बाद यदि आधार नम्बर नहीं सम्मिलित होता है तो वह राशनकार्ड धारक आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में असुविधा हो सकती है। विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ राशनकार्ड धारक हैं जिनमें से लगभग आधे राशनकार्ड धारकों की सूचनाओं का डिजिटाइजेशन कर लिया गया है।

यू0आई0डी0ए0आई0

यू0आई0डी0ए0आई0 क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से आगत अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे विज्ञापन द्वारा समस्त महानगरों में लगाये जा रहे स्थाई नामांकन केन्द्रों के पते भी दें, ताकि निवासी वहाँ जाकर अपना आधार नामांकन करा सकें। इसके अतिरिक्त यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा समय-समय पर लगाये जाने वाले कैम्पों की सूचना भी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जाये।

क्षेत्रीय कार्यालय से यह अपेक्षा की गयी कि वह उनके अधीनस्थ नान-स्टेट रजिस्ट्रार के माध्यम से सभी एजेन्सियों को यह निर्देशित करेंगें कि जिलाधिकारियों द्वारा उपरोक्त योजना के लाभार्थियों हेतु आधार कार्ड बनाने के लिए रणनीति तय करने एवं कैम्प लगाने के लिए जो भी बैठकें होंगी, उसमें वे उपस्थित होंगें तथा उपर्युक्त बैठकों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगें जिससे कि यह कार्य अपेक्षित गति से सम्पन्न हो सके। क्षेत्रीय कार्यालय समस्त जिलाधिकारियों को तथा नियोजन विभाग को सम्बन्धित जिलों में कार्यरत नॉन-स्टेट रजिस्ट्रार एवं उनके द्वारा आबद्ध एजेन्सियों की सूचना अनिवार्य रूप से अगले एक सप्ताह में उपलब्ध करा दें।

यह समस्त कार्य जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के मार्ग निर्देशन व नेतृत्व में सम्पन्न कराया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित योजनाओं को संचालित करने वाले जिलास्तरीय अधिकारी जैसेः- परियोजना निदेशक (डीआरडीए), जिला पंचायत राज अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी सदस्य होंगें तथा ग्राम स्तरीय कर्मचारी (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/लेखपाल) के माध्यम से इस कार्य को सम्पन्न करायेंगें। इस हेतु कार्यकारी आदेश मुख्य सचिव के स्तर से शीघ्र निर्गत कराये जायेंगें।

यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो, इसके लिए इसे अभियान के रूप में कराया जाना आवश्यक है। आधार कार्ड नामांकन के कैम्पों का निर्धारण करते समय सर्वप्रथम बड़ी ग्राम पंचायतों को लिया जाये। इस कार्य योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार राज्य व जिला स्तर से प्रेस-विज्ञप्ति के माध्यम से कराया जाये जिससे कि सामान्य नागरिकों को अवश्य इसकी जानकारी रहे व वे अधिक से अधिक संख्या में आधार कार्ड बनवाने हेतु निर्धारित शिविरों में आ सकें।

.....4

यह योजना सफल हो, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि इस बात का प्रचार-प्रसार किया जाये कि अगर सम्बन्धित लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है अथ उन्होंने आधार कार्ड के लिए नामांकन नहीं कराया है तो वह अगले वित्तीय वर्ष से उप योजना प्राप्त होने में असुविधा हो सकती है।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग
नियोजन विभाग
संख्याः 17M(4)/35-आ0-1/2009-12 टी.सी.
लखनऊःदिनाँकःदिसम्बर, 11, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. सचिव, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. उप महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
10. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।

11/12/14
(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

प्रमुख सचिव, नियोजन की अध्यक्षता में दिनांक: 25–11–2014 को सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार के पत्र दिनांक:13–11–2014 के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में उपस्थिति

1. श्री राकेश कुमार मिश्र, विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग।
3. श्री अबरार अहमद, विशेष सचिव, नियोजन विभाग।
4. डा0 सुनील कुमार, उप सचिव, विकलांगजन विकास विभाग।
5. श्री अनिल कुमार, अनु सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग।
6. श्री रवीन्द्र कुमार, अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग।
7. डा0 फरीद रिजवी, जे0एम0डी0 (यू.पी.एस.आर.एल.एम.), ग्राम्य विकास विभाग।
8. मो0 तारिक, उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
9. डा0 ए0के0 वर्मा, उप निदेशक, विकलांगजन विकास विभाग।
10. श्री आलोक तिवारी, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0।
11. श्री नवीन कपूर, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0।
12. डा0 वाई0के0 सिंह, एस0टी0डी0, एन0आई0सी0।
13. श्री पी0के0 अग्रवाल, सहायक महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
14. श्री प्रदीप कुमार, सहायक महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
15. श्रीमती मृदुला सिंह, अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद, नियोजन विभाग।